

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-3 /विविध-01-64 /2025-

/स्वा0, पटना, दिनांक :

बिहार स्वास्थ्य सेवा सम्वर्ग के निम्न चिकित्सा पदाधिकारियों को NEET PG-2025 के काउंसलिंग/नामांकन हेतु अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि पूर्व में चिकित्सकों के द्वारा NEET PG अध्ययन हेतु विगत वर्षों में विभागीय अनुमति के पश्चात अध्ययनरत नहीं रहे हो:-

क्र० सं०	चिकित्सक का नाम/पदनाम/पदस्थापन स्थल	जन्म तिथि
1	2	3
1	डा० सिमरन सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, तेतरावाँ, सदर प्रखंड, बिहारशरीफ, नालंदा	26.11.98
2	डा० बिकास कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, दिग्धी, लक्ष्मीपुर, जमुई	03.02.95
3	डा० नीरज कुमार अमरेन्द्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रहुई, नालंदा	03.12.96
4	डा० टिंकल सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, चेरों सरमेरा, नालंदा	02.01.2001
5	डा० स्वाति, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, झंझारपुर, मधुबनी	13.11.2000
6	डा० रितिका भारती, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, घेलाढ, मधेपुरा	24.11.98
7	डा० मो० नवाज शरीफ, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, नवागंज, नरपतगंज, अररिया	24.06.96
8	डा० श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रजौन, बाँका	23.01.96
9	डा० प्रीती गुप्ता, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, सदर प्रखंड, जमहोर, औरंगाबाद	29.07.98
10	डा० राकेश कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, एस०एन०सी०यू०, सदर अस्पताल, भागलपुर	20.04.82
11	डा० गौरी शंकर प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, जी०जी०एस अस्पताल, पटना सिटी, पटना	11.04.88
12	डा० ज्योति सिन्हा, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, परसौना, परसा, सारण	24.02.90
13	डा० राज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, जगदीशपुर, आरा, भोजपुर	15.08.85
14	डा० शिखा स्वराज, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, भौरोगंज बगहा-1, प० चम्पारण	06.06.86
15	डा० रोहित कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, सिकरिया, बिहियों, भोजपुर, आरा	06.08.88
16	डा० प्रेम कुंज कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, प्रा०स्वा० केन्द्र, पुरनहीया, शिवहर	07.11.96
17	डा० राजीव कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, खगड़िया	01.03.77
18	डा० श्वेता राज, चिकित्सा पदाधिकारी, अति०प्रा०स्वा० केन्द्र, देवरीया, डिहरी, रोहतास	24.05.96

02. राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में नामांकन प्राप्त करनेवाले चिकित्सा पदाधिकारियों पर विभागीय संकल्प सं० 450(1) दिनांक 15.04.2017 एवं विभागीय अधिसूचना सं० 1092(17) दिनांक 04.10.2025 के सभी शर्तें लागू होंगी ।

03. उक्त चिकित्सा पदाधिकारियों को अनुमति मात्र पी०जी० पाठयक्रम हेतु प्रदान की जा रही है ।

04. उक्त चिकित्सक अध्ययन/प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के पूर्व अपने-अपने नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत विरमित होना सुनिश्चित करेंगे ।

05. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।



ह०/-  
( रेणु कुमारी )  
विशेष कार्य पदाधिकारी


ज्ञायांक : 219(3)

/स्वा0, पटना, दिनांक:

06/03/2026

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग बिहार, पटना/संबंधित प्राचार्य/संबंधित अधीक्षक/संबंधित निदेशक/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, 2, 8, 9 एवं 17/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी